## राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 138वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 138वीं बैठक दिनांक 01/02/2023 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-1** — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 137वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 एवं 25/01/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 137वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 एवं 25/01/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-2** — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 436वीं एवं 437वीं बैठक क्रमशः दिनांक 29/11/2022 एवं 30/11/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना**

**1. मेसर्स चंवरडाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री राहुल ओसवाल), ग्राम-चवंरडाल, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1438)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 180630/2020, दिनांक 26/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81635/ 2020, दिनांक 10/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चवंरडाल, तहसील व जिला-राजनांदगांव, खसरा क्रमांक 566/1 एवं 566, कुल क्षेत्रफल-1.125 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-6,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल ओसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जयाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 566/1 एवं 568, कुल क्षेत्रफल– 1.125 हेक्टेयर, क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी उत्खनन मात्रा की इकाई (Unit) का समावेश कर अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 10/12/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (एसॉग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2215/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 29/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 238/ख.लि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.768 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2637/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज स्व. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर थी, जो 5 वर्षों अर्थात दिनांक 02/05/2008 से 01/05/2013 तक जारी की गई थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/05/2013 से 01/05/2018 तक की अवधि हेतु किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2018 से 01/05/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1068/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 06/08/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार स्व. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर जारी स्वीकृत उत्खनि पट्टा का हस्तांतरण, उनकी मृत्यु होने के कारण शेष अवधि हेतु श्री राहुल ओसवाल के नाम पर किया गया है।

8. **भू–स्वामित्व** – पूर्व में भूमि स्व. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर थी। वर्तमान में भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–1/2021/2014 राजनांदगांव, दिनांक 02/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 3.9 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवडोंगर 210 मीटर, स्कूल ग्राम–देवडोंगर 210 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.75 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,59,375 टन, माईनेबल रिजर्व 2,11,545 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,42,478 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,107 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है, जिसका उत्खनन किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 6,000 |
| द्वितीय | 6,000 |
| तृतीय | 6,000 |
| चतुर्थ | 6,000 |
| पंचम | 6,000 |

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाना बताया गया है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 857 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खदान के बाउण्ड्री में (857 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 49,932 | 5,016 | 5,016 | 5,016 | 5,016 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 1,27,900 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 4,920 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 2,66,000 | 2,16,000 | 2,16,000 | 2,16,000 | 2,16,000 |
| कुल राशि =13,34,856 | | 4,48,752 | 2,21,526 | 2,21,526 | 2,21,526 | 2,21,526 |

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,107 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पश्चिम दिशा में 862.5 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 637.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 390 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी

सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

**"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

| Concentration level (µg/m$^3$) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| Criteria Pollutants | Minimum (µg/m$^3$) | Maximum (µg/m$^3$) | CPCB Standard (µg/m$^3$) |
| $PM_{2.5}$ | 25.87 | 55.56 | 60 |
| $PM_{10}$ | 46. 64 | 68.23 | 100 |
| $SO_2$ | 8.54 | 15.48 | 80 |
| $NO_2$ | 10.84 | 21.09 | 80 |

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| Equivalent Noise level | Minimum dB (A) | Maximum dB (A) | CPCB Standard dB (A) |
| Day $L_{eq}$ | 47.89 | 54.87 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 32.1 | 46.21 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी।

तत्पश्चात् कुल 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है। समिति का मत है कि

vi. जी.एल.सी. की गणना –

| Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For $PM_{10}$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Activity in the mine | Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu g/m^3$) at core area | Calculated GLCs ($\mu g/m^3$) | Resultant Concentration ($\mu g/m^3$) | Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu g/m^3$) |
| 1. | Overall Activities control ROM | 65.21 | 13.0 | 78.21 | 100 |
| 2. | ROM Blasting | | 2.2 | 67.41 | |

19. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 प्रातः 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–धंवरडाल, तहसील–राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/05/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों के फसलों, मनुष्यों एवं जीव–जन्तुओं पर बुरा असर पड़ रहा है।

ii. ब्लास्टिंग के समय झंडा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में बोर ब्लास्टिंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर स्थित मंदिर में दरारे आ रही है।

iii. खदान के चारों ओर कांटेदार पेड़ लगाया जाए अथवा लोहे के तार द्वारा घेरा कराया जाए, जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

iv. खदान से उत्पादित मिट्टी पत्थर को बरसा में रख दिया जाता है, जिससे बरसा ही बंद हो जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर एवं झंडा लगाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।

iii. लीज क्षेत्र के चारों ओर पौधे लगाये जाएगें, बाउण्ड्री के चारों ओर फेंसिंग कराई गई थी जिसका संधारण कराया जाएगा।

iv. खदान से उत्पादित मिट्टी एवं पत्थर का रखाव लीज क्षेत्र में किया जाएगा।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (1,334 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 1,01,384 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 10,67,200 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 10,050 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 6,32,000 | 4,32,000 | 4,32,000 | 4,32,000 | 4,32,000 |
| कुल राशि = 35,83,450 | | 18,10,634 | 4,43,204 | 4,43,204 | 4,43,204 | 4,43,204 |

कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (203 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 15,428 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 1,62,400 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 1,530 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 1,15,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 | 65,640 |
| कुल राशि = 5,64,662 | | 2,94,998 | 67,416 | 67,416 | 67,416 | 67,416 |

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 51 | 2% | 1.02 | Following activities at, Village- Chawardhal | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 11.71 |
| | | | Total | 11.71 |

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 3,040 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,300 रुपये, खाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,06,640 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,336 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत चवरढाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 391/1, क्षेत्रफल 95.541 हेक्टेयर में से 30 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 40 नग पौधों के लिए राशि 11.71 लाख रुपये खर्च किया जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 250 नग पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज नियमों के अनुरूप सीमांकन कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार स्तंभ स्थापित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने के बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

33. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

34. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी उत्खनन मात्रा की इकाई (Unit) का समावेश कर अद्यतन स्थिति में माहवार उत्पादन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

35. ओवर बर्डन की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. भू-जल उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

37. भू-स्वामी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

38. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

39. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

40. प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 40 नग पौधों के लिए राशि 11.71 लाख रूपये खर्च किया जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 250 नग पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

41. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

42. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 236/ख. नि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.768 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंवरडाल) का क्षेत्रफल 1.125 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंवरडाल) को मिलाकर क्षेत्रफल 9.893 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

6. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 32 से 40 तक) को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स चंवरढ़ाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री राहुल ओसवाल) की ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 566/1 एवं 568 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.125 हेक्टेयर, क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चंवरढ़ाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री राहुल ओसवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 32 से 40 तक) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. **This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.**

4. **The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.**

5. **The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of**

India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

**This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.**

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**2. मेसर्स चंवरढ़ाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री समीर पोद्दार), ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1297)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152653/2020, दिनांक 06/05/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/81546/ 2021, दिनांक 10/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल–1.942 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,900 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/03/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर पोद्दार, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जयाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल–1.942 हेक्टेयर, क्षमता–39,900 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 18/11/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म अटल नगर नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4322/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1880/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 286/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री समीर पोद्दार के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात दिनांक 15/06/2012 से 14/06/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/06/2017 से 14/06/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./5–18/6081 राजनांदगांव, दिनांक 13/06/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चंवरडाल 470 मीटर, स्कूल ग्राम–चंवरडाल 420 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,23,460 टन, माईनेबल रिजर्व 2,87,240 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,72,878 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 (Including Hillock, maximum height of 9 meter) मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,730 घनमीटर है जिसका उत्खनन पूर्व में किया जाकर 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया गया है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 42,000 | षष्टम | 28,500 |
| द्वितीय | 41,250 | सप्तम | 21,000 |
| तृतीय | 40,750 | अष्टम | 24,000 |
| चतुर्थ | 30,375 | नवम | 15,375 |
| पंचम | 25,500 | दशम | 18,250 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,818 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खदान के बाउण्ड्री में (1,818 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 1,38,168 | 13,832 | 13,832 | 13,832 | 13,832 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 1,69,600 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 13,650 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 2,66,000 | 2,16,000 | 2,16,000 | 2,16,000 | 2,16,000 |
| कुल राशि =15,12,266 | | 5,87,418 | 2,31,212 | 2,31,212 | 2,31,212 | 2,31,212 |

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,900 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,840 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 1,840 वर्गमीटर क्षेत्र की गहराई के अनुसार पुनःभराव प्लान बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

**"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता

मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

| Concentration level (µg/m$^3$) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| Criteria Pollutants | Minimum (µg/m$^3$) | Maximum (µg/m$^3$) | CPCB Standard (µg/m$^3$) |
| $PM_{2.5}$ | 25.87 | 55.56 | 60 |
| $PM_{10}$ | 46. 64 | 68.23 | 100 |
| $SO_2$ | 8.54 | 15.48 | 80 |
| $NO_2$ | 10.84 | 21.09 | 80 |

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| Equivalent Noise level | Minimum dB (A) | Maximum dB (A) | CPCB Standard dB (A) |
| Day $L_{eq}$ | 47.89 | 54.87 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 32.1 | 46.21 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 12 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 60 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना –

| Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For $PM_{10}$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Activity in the mine | Maximum Baseline Concentration GLCs (µg/m$^3$) at core area | Calculated GLCs (µg/m$^3$) | Resultant Concentration (µg/m$^3$) | Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) (µg/m$^3$) |
| 3. | Overall Activities control ROM | 65.21 | 13.0 | 78.21 | 100 |
| 4. | ROM Blasting | | 2.2 | 67.41 | |

18. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 प्रातः 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील–राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/05/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों के फसलों, मनुष्यों एवं जीव–जन्तुओं पर बुरा असर पड़ रहा है।

ii. ब्लास्टिंग के समय झंडा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में बोर ब्लास्टिंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर स्थित मंदिर में दरारे आ रही है।

iii. खदान के चारों ओर कांटेदार पेड़ लगाया जाए अथवा लोहे के तार द्वारा घेरा कराया जाए, जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

iv. खदान से उत्पादित मिट्टी पत्थर को घरसा में रख दिया जाता है, जिससे घरसा ही बंद हो जाता है।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर एवं झंडा लगाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।

iii. लीज क्षेत्र के चारों ओर पौधे लगाये जाएगें, बाउन्ड्री के चारों ओर फेंसिंग कराई गई थी जिसका संधारण कराया जाएगा।

iv. खदान से उत्पादित मिट्टी एवं पत्थर का रखाव लीज क्षेत्र में किया जाएगा।

20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 कि.मी. मार्ग के | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन | 1,01,384 | 10,184 | 10,184 | 10,184 | 10,184 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दोनों तरफ (1,334 नग) वृक्षारोपण हेतु | दर) हेतु राशि | | | | | |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 10,67,200 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 10,050 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 6,32,000 | 4,32,000 | 4,32,000 | 4,32,000 | 4,32,000 |
| कुल राशि = 35,83,450 | | 18,10,634 | 4,43,204 | 4,43,204 | 4,43,204 | 4,43,204 |

कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (349 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 26,524 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 2,79,200 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 2,610 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 1,68,310 | 1,13,310 | 1,13,310 | 1,13,310 | 1,13,310 |
| कुल राशि = 9,41,604 | | 4,76,644 | 1,16,240 | 1,16,240 | 1,16,240 | 1,16,240 |

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कराई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 2% | 1.18 | Following activities at, **Village- Chawardhai** | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 11.71 |
| | | | **Total** | **11.71** |

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 3,040 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,300 रूपये, खाद के लिए राशि 300 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,06,640 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,85,336 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत चवरढ़ाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 391/1, क्षेत्रफल 95.541 हेक्टेयर में से 30 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 40 नग पौधों के लिए राशि 11.71 लाख रूपये खर्च किया जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 250 नग पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज नियमों के अनुरूप सीमांकन कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार स्तंभ स्थापित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मेनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने के बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

32. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

33. उत्खनित 1,840 वर्गमीटर क्षेत्र की गहराई के अनुसार पुनःभराव प्लान बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

34. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

35. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 40 नग पौधों के लिए राशि 11.71 लाख रुपये खर्च किया जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् 250 नग पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

38. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1800/ख.नि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंवरढ़ाल) का क्षेत्रफल 1.942 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंवरढ़ाल) को मिलाकर क्षेत्रफल 7.326 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

6. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 31 से 37 तक) को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स चंवरढ़ाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री समीर पोद्दार) की ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.942 हेक्टेयर, क्षमता–39,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चंवरडाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री समीर पोद्दार) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 31 से 37 तक) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

**This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.**

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 1284)

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 151413/2020, दिनांक 12/04/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/72381/2021, दिनांक 08/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 887, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवाशीष, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जयाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 887, कुल क्षेत्रफल–0.850 हेक्टेयर, आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 590/ख.लि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/02/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) | वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 636 | 2015–2016 | निरंक |
| 2010–2011 | 1,714 | 2016–2017 | निरंक |
| 2011–2012 | 112 | 2017–2018 | 5,209 |
| 2012–2013 | 123 | 2018–2019 | 6,120 |
| 2013–2014 | 602 | 2019–2020 | 1,630 |
| 2014–2015 | 472 | 2020–2021 | निरंक (दिसम्बर 2020 तक) |

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्ताव द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी हेतु खनिज विभाग, जिला–राजनांदगांव को दिनांक 10/10/2022 को पत्र लेख किया गया है। समिति का मत है कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कन्देवपुर का दिनांक 13/02/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1804/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2019(3) नया रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 172/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानें, क्षेत्रफल 11.822 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्ताव द्वारा बताया गया कि अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी हेतु खनिज विभाग, जिला–राजनांदगांव को दिनांक 10/10/2022 को पत्र लेख किया गया है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 6247/ख.लि.

02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज डीड श्रीमती सुमन सिंह के नाम पर है। पूर्व में लीज डीड 05 वर्षों अर्थात दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई थी।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 25/1724 खैरागढ़, दिनांक 02/06/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 5.10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बल्देवपुर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। तालाब 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,18,750 टन, माईनेबल रिजर्व 96,345 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 75,742 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,109 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है, जिसका उत्खनन पूर्व में किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 10,000 |
| द्वितीय | 10,000 |
| तृतीय | 10,000 |
| चतुर्थ | 10,000 |
| पंचम | 10,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 548 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,109 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से उत्तर दिशा में 495 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 427.5 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पूर्व दिशा में 172.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii(i) के अनुसार:–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

| Concentration level (µg/m$^3$) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| **Criteria Pollutants** | **Minimum (µg/m$^3$)** | **Maximum (µg/m$^3$)** | **CPCB Standard (µg/m$^3$)** |
| $PM_{2.5}$ | 25.32 | 44.77 | 60 |
| $PM_{10}$ | 47.22 | 87.15 | 100 |
| $SO_2$ | 9.03 | 14.68 | 80 |
| $NO_2$ | 11.31 | 20.33 | 80 |

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार

क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| Equivalent Noise level | Minimum dB (A) | Maximum dB (A) | CPCB Standard dB (A) |
| Day $L_{eq}$ | 47.89 | 54.87 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 32.1 | 46.21 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी री–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वीरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना –

| Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For $PM_{10}$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Activity in the mine | Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu g/m^3$) at core area | Calculated GLCs ($\mu g/m^3$) | Resultant Concentration ($\mu g/m^3$) | Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu g/m^3$) |
| 1. | Overall Activities with control ROM | 67.15 | 11.0 | 78.15 | 100 |
| 2. | ROM Blasting | | 1.1 | 68.25 | |

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार कांटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुचना नही दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामो के लोगो को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगो को सुचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों | वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 1,98,292 | 18,772 | 18,772 | 18,772 | 18,772 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तरक (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु | कॅसिंग हेतु राशि | 19,73,600 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 18,600 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 13,64,000 | 8,64,000 | 8,64,000 | 8,64,000 | 8,64,000 |
| कुल राशि = 70,93,020 | | 35,54,492 | 8,84,632 | 8,84,632 | 8,84,632 | 8,84,632 |

कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 मीटर मार्ग के दोनों तरक (151 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 11,476 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| | कॅसिंग हेतु राशि | 1,20,800 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 1,140 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि | 87,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 | 62,248 |
| कुल राशि = 4,74,696 | | 2,20,664 | 63,508 | 63,508 | 63,508 | 63,508 |

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 41 | 2% | 0.82 | Following activities at, Village- Baldevpur | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pavitra Van Nirman | 12.70 |
| | | | Total | 12.70 |

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 93,300 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 787/1, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र से किसी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्सर्जन होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, नदी, नाला, तालाब आदि में नहीं किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस बाबत शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने के बाबत शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

29. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

30. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

31. अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी हेतु खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

32. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

33. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

34. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

35. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. माईनिंग लीज क्षेत्र में पयुजिटिव डस्ट उत्सर्जन के समस्त बिन्दुओं/स्थानों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमित जल छिड़काव कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

37. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज नियमों के अनुरूप सीमांकन कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार स्तंभ स्थापित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

38. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 172/ख.नि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानें, क्षेत्रफल 11.822 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बल्देवपुर) का क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बल्देवपुर) को मिलाकर क्षेत्रफल 12.672 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

6. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 26 से 37 तक) को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी) की ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 867 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर, क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 26 से 37 तक) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. **This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.**

4. **The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.**

5. **The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid**

by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.III(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

**This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.**

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**4. मेसर्स ईरा क्रिस अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक चक्रधारी), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2131)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288964/2022, दिनांक 17/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 483, 490(पार्ट), 493(पार्ट), 494(पार्ट), 496/2, 496(पार्ट), 482, 484(पार्ट), 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 495/1, 495/4(पार्ट) एवं 495/5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–3,200 घनमीटर (32,00,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 475, 478, 482, 483, 494, 496, 484, 493, 490, 492, 476/1, 476/2, 495, 479, 480, 481, 477 एवं 489, कुल

क्षेत्रफल–4.682 हेक्टेयर, आवेदित उत्खनन क्षमता–3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

ii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1971/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 28/11/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| अप्रैल 2016 से मार्च 2017 | 1,000 |
| अप्रैल 2017 से मार्च 2018 | 2,800 |
| अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 3,000 |
| अप्रैल 2019 से मार्च 2020 | 3,200 |
| अप्रैल 2020 से मार्च 2021 | 6,500 |
| अप्रैल 2021 से मार्च 2022 | निरंक |

iv. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी। परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2020–21 में भी उत्खनन किया गया है। साथ ही विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की प्रस्तुत जानकारी अनुसार क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) एवं 2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में क्रमशः उत्खनन 3,200 घनमीटर एवं 6,500 घनमीटर किया गया है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता (3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) से अधिक है। अतः यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है।

समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों ई.आई.ए./ई.एम.पी. तैयार किये जाने हेतु टी.ओ.आर. के लिए विहित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः टी.ओ.आर. हेतु आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/01/2023 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की गई है:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 105/ख.लि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 13/01/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| अप्रैल 2016 से मार्च 2017 | 1,000 |
| अप्रैल 2017 से मार्च 2018 | 2,800 |
| अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 3,000 |
| अप्रैल 2019 से मार्च 2020 | 3,200 |
| अप्रैल 2020 से मार्च 2021 | 6,500 |
| अप्रैल 2021 से मार्च 2022 | निरंक |

मिट्टी 42 प्रतिशत, फलाई ऐश 52 प्रतिशत एवं कोल ऐश 6 प्रतिशत = 100 प्रतिशत उत्पादन में सम्मिलित है।

2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि "उत्पादन की जो जानकारी खनिज विभाग के द्वारा दी गई थी उसमें फलाई ऐश की मात्रा समाहित थी, इस संबंध में पुनः उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से दिनांक 13/01/2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उल्लेखित वार्षिक उत्पादन में 42 प्रतिशत मिट्टी, 52 प्रतिशत फलाई ऐश, 6 प्रतिशत कोल ऐश सम्मिलित है चूँकि जारी उत्पादन प्रमाण पत्र में दर्शीत मात्रा का मात्र 42 प्रतिशत मिट्टी है जो कि पर्यावरण स्वीकृति क्षमता के अंदर है। उक्त खदान की पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अवधि दिनांक 31/03/2020 तक ही थी चूँकि MoEF&CC के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार 16/03/2020 से 30/04/2020 के बीच के कालखण्डों की पर्यावरण स्वीकृति को 30/06/2020 तक विस्तारित किया गया था एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता जिसकी विधिमान्यता वित्तीय वर्ष 2020-21 में समाप्त हो रही है, को 31 मार्च 2021 या विधिमान्यता समाप्ति की तारीख से छः मास, जो भी बाद हो, तक विस्तारित किया जाना समझा जाएगा एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे। उपरोक्त अधिसूचना एवं ओ.एम. के अनुसार जारी पर्यावरण स्वीकृति में हमारे द्वारा किसी प्रकार का पर्यावरण स्वीकृति का उल्लंघन वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में भी नहीं किया गया है तथा उत्खनन पर्यावरण स्वीकृति के अनुरूप किया गया है जो कि जारी पर्यावरण स्वीकृति से ज्यादा नहीं है।"

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनर्विचार कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**5. मेसर्स अछोली फर्शी पत्थर माईन (प्रो.–श्री पारसमणी चन्द्राकर) ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2134)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 82387 / 2022, दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1168 / 2, कुल क्षेत्रफल–1.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,947.5 घनमीटर (4,674 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पारसमणी चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 07 / 03 / 2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लॉन प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3886 / खनि 02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क्र.02 / 2019(1) नया रायपुर, दिनांक 18 / 07 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 989 / क / खनि / न.क्र. 02 / 2022 महासमुंद, दिनांक 02 / 08 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 29 खदानें, क्षेत्रफल 23.54 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 989 / क / खनि / न.क्र. 02 / 2022 महासमुंद, दिनांक 02 / 08 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री पारसमणी चन्द्राकर के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 660 / क / उ.प. / खनि. / न.क्र. 02 / 2022 महासमुंद, दिनांक

17/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./1783 महासमुंद, दिनांक 21/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 350 मीटर, स्कूल ग्राम–अछोली 400 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.65 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.35 कि.मी. दूर है। महानदी 2.2 कि.मी., मौसमी नाला 900 मीटर, तालाब 870 मीटर एवं नहर 500 मीटर दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,80,800 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,58,280 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 1,50,366 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,925 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,393.75 घनमीटर है। ओवर बर्डन की मोटाई 1.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 23,756.25 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 37 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 3,500 |
| द्वितीय | 3,990 |
| तृतीय | 4,674 |
| चतुर्थ | 4,218 |
| पंचम | 3,728 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.12 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 591 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 989/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 29 खदानें, क्षेत्रफल 23.54 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 1.95 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

**6. मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर.– श्री प्रमोद अग्रवाल), ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2133)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 82435/ 2022, दिनांक 18/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 497, 502, 508 एवं अन्य 35, कुल क्षेत्रफल–4.616 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनीर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल वॉशरी स्थापना हेतु निम्न 3 स्थलों का अध्ययन किया गया:–

   I. ग्राम–चंदिया, जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 26'58.91"N, 81° 56'47.20" E
   II. ग्राम–हथनेवरा,जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 59'4.26"N, 82° 41'43.99" E
   III. ग्राम–अटरी, जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 56'54.03"N, 81° 59'21.41" E

   उक्त स्थलों का विभिन्न तथ्यों/बिन्दुओं पर अध्ययन उपरांत प्रस्तावित स्थल (ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा) को उपयुक्त पाये जाने पर चयनित किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–हथनेवरा 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन चांपा 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विमानपत्तन, बिलासपुर 60 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 1.9 कि.मी. एवं जरमरिया नाला 500 मीटर दूर है। नहर परिसर से लगी हुई है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर (11.406 एकड़) है, जिसमें बिल्टअप का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर, वाश्ड–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर, रिजेक्ट्स स्टोरेज का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर अन्य फेसिलिटी का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कर संशोधित लेंड ऐरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वॉशरी से

वाश्ड कोल का परिवहन कस्टमर के साथ हुये एम.ओ.यू. के आधार पर सड़क मार्ग या रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। समिति का मत है कि अधिकतम वाश्ड कोल का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट में समावेश किया जाए।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। क्रशर के चारों ओर जल छिड़काव हेतु आटोमाईजर नोजल अरेंजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के चारों ओर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस-पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 200 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होगी, जिसकी आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित किया जाएगा। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. विद्युत खपत एवं स्त्रोत – परियोजना हेतु 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

10. वृक्षारोपण की स्थिति – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में नए पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 12 से 30 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कर संशोधित ले–आउट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेस लाईन डेटा कलेक्शन का कार्य 20 मार्च 2022 से 20 जून 2022 तक किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

ii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

iv. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authourity for use of ground water.

v. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area.

vi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the premises as per guidelines issued from time to time and minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of most of the raw coal, clean coal and reject through rail as far as possible.

viii. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding national highway.

ix. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding nearest canal / water bodies.

x. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including adjacent canal.

xi. **Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.**

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर है जिसमें से कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना है एवं कोल वॉशरी में जल की आवश्यकता अत्यधिक होने के कारण रेन वॉटर पॉण्ड के निर्माण हेतु भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होगी तथा कोल वॉशरी क्षेत्र में पार्किंग एरिया, स्टोरेज एरिया, ई.टी.पी. एरिया एवं अन्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोल वॉशरी की क्षमता 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर कम है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हेमंत चन्द्राकर), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2142)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 83033/2022, दिनांक 29/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1171/1 एवं 1171/4, कुल क्षेत्रफल–2.55 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन उत्खनन क्षमता–1,050 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1171/1 एवं 1171/4, कुल क्षेत्रफल–2.55 हेक्टेयर, क्षमता–1,050 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु वैध है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17/09/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 996/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 18/09/2018 से 31/12/2018 | भूप्रवेश अप्राप्त |
| 01/01/2019 से 30/06/2019 | भूप्रवेश अप्राप्त |
| 01/07/2019 से 31/12/2019 | भूप्रवेश अप्राप्त |
| 01/01/2020 से 30/06/2020 | 66 घनमीटर |
| 01/07/2020 से 31/12/2020 | 369 घनमीटर |
| 01/01/2021 से 30/06/2021 | 237 घनमीटर |
| 01/07/2021 से 30/09/2021 | 90 घनमीटर |
| 01/10/2021 से 31/03/2022 | 231 घनमीटर |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 31/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.नि./तीन–6/2018/1167 रायपुर, दिनांक 06/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 996/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 22.94 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 996/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री हेमंत चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/12/2018 से 18/12/2048 तक वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1171/1 श्री ढालू उर्फ हेमंत एवं खसरा क्रमांक 1171/4 श्री नरेन्द्र के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/1555 महासमुंद दिनांक 16/04/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 14 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 200 मीटर, स्कूल ग्राम–अछोली 700 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 12.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.7 कि.मी. दूर है। महानदी 1.9 कि.मी., मौसमी नाला 800 मीटर, नहर 150 मीटर एवं तालाब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,53,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 1,01,392 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 76,044 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,52,007 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 1,00,399 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,105 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,360 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 1,050 | षष्टम | 1,050 |
| द्वितीय | 1,050 | सप्तम | 1,050 |
| तृतीय | 1,050 | अष्टम | 1,050 |
| चतुर्थ | 1,050 | नवम | 1,050 |
| पंचम | 1,050 | दशम | 1,050 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.35 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 609 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 को प्रारंभ किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

    b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 996/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 22.94 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 2.55 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year in the 7.5 meter width of mine lease periphery & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**8. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2141)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 82980/ 2022, दिनांक 27/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल–11.62 हेक्टेयर (28.72 एकड़) में संचालित कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 25 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डायरेक्टर एवं श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1422, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल–11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 576, दिनांक 19/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया।
2. **जल एवं वायु सम्मति** –
   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 04/05/2022 को जारी की गई।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–पथर्रा 0.7 कि.मी., ग्राम–खरगहनी 1.5 कि.मी., शहर कोटा 4.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कलमिलर 2.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। गोकेना नाला 100 मीटर, छापी नाला 4.6 कि.मी. दूर है। धोंधा नदी 5.5 कि.मी. एवं अरपा नदी 4 कि.मी. दूर है।

- रामचंदा आरक्षित वन 5.2 कि.मी., कुआजाती आरक्षित वन 6.1 कि.मी., लोरमी आरक्षित वन 6.6 कि.मी., रतनपुर संरक्षित वन 7 कि.मी., सिवतराई संरक्षित वन 8.9 कि.मी., कंचनपुर संरक्षित वन 10.7 कि.मी., रानीबचाली आरक्षित वन 10.8 कि.मी., घासीपुर संरक्षित वन 10.9 कि.मी., ईस्ट बेलगहना संरक्षित वन 13.3 कि.मी. दूर है।

- अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य और टाईगर रिजर्व 24.2 कि.मी. की दूरी पर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत पथर्रा का दिनांक 22/09/2019 एवं ग्राम पंचायत खरगहनी का दिनांक 21/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 28.72 एकड़ (11.62 हेक्टेयर) है, जिसमें वॉशरी प्लांट का क्षेत्रफल 2.45 एकड़ (8.53 प्रतिशत), रॉ–कोल, स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल एवं रिजेक्ट्स का क्षेत्रफल 3.95 एकड़ (13.75 प्रतिशत), अन्य फेसिलिटी का क्षेत्रफल 3.65 एकड़ (12.71 प्रतिशत), वेकेंट भूमि 6.4 एकड़ (22.29 प्रतिशत) एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर ग्रीन बेल्ट कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत भाग में किया जाना आवश्यक है।

8. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा

एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, सेंटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कन्वेंड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 3,880 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 06/05/2021 से 05/05/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु घरेलू एवं वृक्षारोपण उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 9,312 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 8,812 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 800 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

12. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा एवं सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ऊंचाई (10 मीटर) की चिमनी संलग्न की जाएगी।

14. **वृक्षारोपण की स्थिति** –

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार, कुल क्षेत्रफल में से 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। रेलवे लाईन की तरफ 65 मीटर तक सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ऐसी वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाए जिसकी ऊंचाई कम से कम 25 मीटर से अधिक होती है। साथ ही प्रति हेक्टेयर 1,666 नग पौधों का रोपण 3 गुणा 2 मीटर के अंतराल में किया जाना था। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

- वर्तमान में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार, कुल क्षेत्रफल में से 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

- समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में तथा रेल लाईन की तरफ कम से कम 65 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण आगामी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुये 50 प्रतिशत कर संशोधित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के समय 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक किये गये मॉनिटरिंग के बेसलाईन डाटा का उपयोग आवेदित क्षमता हेतु किया

जाएगा। समिति का मत है कि उक्त हेतु क्यूमिलिटीव ई.आई.ए. स्टडी किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रॉ–कोल यौगिकी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2020 तक किया गया था। उक्त बेसलाईन डाटा को प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपयोग किये जाने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल यौगिकी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष सेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous consent to establish from Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur.

iii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).

vi. Project proponent shall submit proposal for minimum 50% greenbelt area of total land area.

vii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

viii. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

ix. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).

x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).

xii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the revise layout plan with KML file for increasing Plantation area making it 50% and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the pheriphery of the project area & 65 meter wide green belt along the railway line side.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

(i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के स्थान पर (i) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IA.II(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहर्ष टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**9. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री लीलाराम चौधरी), ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2143)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 69740 / 2021, दिनांक 30 / 08 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 433 / 4, 352, 353 एवं 354, कुल क्षेत्रफल–0.56 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–920 घनमीटर (2,300 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30 / 11 / 2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लीलाराम चौधरी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 433 / 4, 352, 353 एवं 354, कुल क्षेत्रफल–0.56 हेक्टेयर क्षमता–920 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18 / 09 / 2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 17 / 09 / 2023 तक वैध है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार:–

   **"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."**

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17 / 09 / 2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 120 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1378/क/खनि./न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 23/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 01/07/2018 से 31/12/2018 | भूप्रवेश अप्राप्त |
| 2019 | 109 |
| 2020 | 647 |
| 2021 | 490 |
| 01/10/2021 से 31/03/2022 | 250 |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोडारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लॉन प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/खनि./तीन–6/2018/207 रायपुर, दिनांक 02/05/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.04 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1287/क/खनि/न.क्र. /2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री लीलाराम चौधरी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/12/2018 से 18/12/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 352, 353 व 354 श्री लीलाराम चौधरी एवं खसरा क्रमांक 433/4 श्री सुभद्रा चौधरी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./6446 महासमुंद, दिनांक

30/12/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–घोडारी 550 मीटर, स्कूल ग्राम–घोडारी 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 7.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.9 कि.मी. दूर है। महानदी 1 कि.मी., मौरामी नाला 770 मीटर, तालाब 1.4 कि.मी. एवं नहर 260 मीटर दूर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,64,260 टन एवं माईनेबल रिजर्व 52,120 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,313 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,642 घनमीटर है, जिसमें से 811 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा शेष 831 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को पूर्व लीज क्षेत्र की सीमा के भीतर अथवा लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर संरक्षित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 900 | षष्टम | 915 |
| द्वितीय | 915 | सप्तम | 930 |
| तृतीय | 921 | अष्टम | 939 |
| चतुर्थ | 930 | नवम | 945 |
| पंचम | 936 | दशम | 951 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.64 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 231 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा आवेदित खदान के 500 मीटर के क्लस्टर क्षेत्र में अन्य आवेदित खदाने भी अवस्थित है जिनका टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक की आवेदित खदान भी इस क्लस्टर के क्षेत्र के भीतर ही स्थित है। अतः उक्त क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों का संयुक्त रूप से बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से समिति सहमत हुई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 89 खदानें, क्षेत्रफल 40.04 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) का रकबा 0.56 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. **Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.**

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year in the 7.5 meter width of mine lease periphery & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

3 (i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के स्थान पर 3 (i) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IA(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**10. मेसर्स लाईम स्टोन (चूनेग स्टोन) माईन (प्रो.– श्री लीलाधर चन्द्राकर) ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2144)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए /सीजी /एमआईएन /69831/2021, दिनांक 31/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 159, कुल क्षेत्रफल–0.2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 543 घनमीटर (1,357.5 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 159, कुल क्षेत्रफल–0.2 हेक्टेयर, क्षमता–543 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 12/03/2021 तक वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 12/03/2022 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 140 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1259/क/खनि./न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 11/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2017 | निरंक |
| 01/01/2018 से 30/06/2018 | निरंक |
| 01/07/2018 से 31/12/2018 | 180 |
| 2019 | 327 |
| 2020 | 131 |
| 01/01/2021 से 30/06/2021 | 48 |
| 01/07/2021 से 30/03/2022 | निरंक |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन (मद में परिवर्तन) के संबंध में ग्राम पंचायत बत्तसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला – रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1132–3/ख.नि./तीन–6/2017 रायपुर, दिनांक 30/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1242/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। महानदी 110 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री लीलाधर चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/12/1997 से 02/12/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी, तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों दिनांक 03/12/2017 से 02/12/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्री सुरेश चन्द्राकर, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/1440 महासमुंद, दिनांक 09/12/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 15 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 780 मीटर, स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.15 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 9.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.5 कि.मी. दूर है। महानदी 110 मीटर दूर है। मौसमी नाला 170 मीटर, गांव का तालाब 830 मीटर एवं नहर 1.15 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,725 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 3,834 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 862 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,312.5 घनमीटर है, जिसमें से 394 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा शेष 918.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को पूर्व लीज क्षेत्र की सीमा के भीतर अथवा लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर संरक्षित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगामी 05 वर्षों में

किए जाने वाले प्रस्तावित उत्खनन का वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.71 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायत से टैंकरों के माध्यम से भी जल आपूर्ति की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 112 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

**a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

**b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit the revised mining plan incorporating proposed mining schemes.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year in the 7.5 meter width of mine lease periphery & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 3 (i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के स्थान पर 3 (i) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IA(I)(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के स्थान पर 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent

shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सन्दर्भ टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–3** **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

**1. मेसर्स श्री हेमंत साहू, ब्रिक अर्थ माईन, ग्राम–बिचेसरा, तहसील व जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1900)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 246490/2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–बिचेसरा, तहसील व जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, कुल क्षेत्रफल–2.023 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलराम बैस, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर, क्षमता – 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1362/खनि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 04/01/2017 से 31/03/2017 | – |
| 01/04/2017 से 31/03/2018 | 767.7 |
| 01/04/2018 से 31/03/2019 | 746.7 |
| 01/04/2019 से 31/03/2020 | 1,046.78 |
| 01/04/2020 से 31/03/2021 | 440 |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मरुडागुड़ा का दिनांक 25/12/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलोंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1285/ख.लि/तीन–1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 04/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1362/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या शिरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1362/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, नहर, भवन, धार्मिक स्थल, मरघट, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री हेमन्त साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 23/08/2012 से 22/08/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 147/1 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 148 श्रीमती रामप्यारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2137 दिनांक 08/06/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेवेसरा 150 मीटर, स्कूल ग्राम–बेवेसरा 200 मीटर एवं अस्पताल–बेवेसरा 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.77 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.77 कि.मी. दूर है। आगर नदी 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,460 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 34,893 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 556 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.16 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 40 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|
| प्रथम | 5,135 |
| द्वितीय | 5,134 |
| तृतीय | 5,134 |
| चतुर्थ | 5,136 |
| पंचम | 5,135 |
| षष्टम | 5,135 |
| सप्तम | 5,134 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 250 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,29,700 रुपये, खाद के लिए राशि 630 रुपये एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,55,260 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,90,590 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 4,84,440 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पटकथार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 55 | 2% | 1.10 | Following activities at Village- Chichesara | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pavitra Van Nirman | 8.75 |
| | | | Total | 8.75 |

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 14,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,400 रूपये, खाद के लिए राशि 1,780 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,22,920 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,04,300 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 5,71,664 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भरूहागुड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर) पर रोपण करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1362/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–चिचेसरा) का रकबा 2.023 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री हेमंत साहू, ब्रिक अर्थ माईन की ग्राम–चिचेसरा, तहसील व जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.023 हेक्टेयर, क्षमता – 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/06/2022 को संपन्न 123वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। अतः **प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के** शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/12/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री हेमंत साहू, ब्रिक अर्थ माईन को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. **मेसर्स सरस्वती स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री जयन्ती लाल पटेल), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2243)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /411933/2022, दिनांक 24/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 872, कुल क्षेत्रफल–1.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 69,691.5 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/01/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में नाम में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री देव कुमार पटेल), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2240)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /411507/2022, दिनांक 24/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल–1.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 20,416 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/01/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री देव कुमार पटेल), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2241)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 411932/2022, दिनांक 24/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल–1.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 20,416 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/01/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**5. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी1 / 292696/2022, दिनांक 10/10/2022। मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** –

1. यह परियोजना ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ के कुल क्षेत्रफल 38 एकड़, क्षमता विस्तार के तहत् थर्मल पॉवर प्लांट (ए.एफ.बी.सी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 8 मेगावॉट एवं थर्मल पॉवर प्लांट (डब्ल्यू.एच.आर. बी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 6 मेगावॉट की है।
2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11011/448/2007-IA.II(I) दिनांक 13/05/2009 द्वारा कुल क्षेत्रफल 38 एकड़, थर्मल पॉवर प्लांट (ए.एफ.बी.सी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 8 मेगावॉट एवं थर्मल पॉवर प्लांट (डब्ल्यू.एच.आर. बी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 6 मेगावॉट हेतु मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुये विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2707/TS/CECB/2020 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक

02/07/2020 द्वारा स्पंज आयरन (2 गुणा 100 टन प्रतिदिन डीआरआई किल्न) क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष, पॉवर प्लांट (एफ.बी.सी. आधारित) क्षमता–8 मेगावॉट एवं पॉवर प्लांट (डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट के लिए जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/12/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

7. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्यूशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत की गई है।

9. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पॉवर ऑफ एटॉर्नी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि चूंकि इस परियोजना को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–धरधोड़ा, जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–धरधोड़ा, जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में किये गये कार्यवाही की वस्तुस्थिति के परिपेक्ष्य में स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को सम्मिलित करते हुये चार सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। चार सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1439, दिनांक 24/11/2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली तथा परियोजना प्रस्तावक को मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1443, दिनांक 24/11/2022 के परिपेक्ष्य में श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार धोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 05/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमड़ा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1439, दिनांक 24/11/2022 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन अप्राप्त है।

2. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   "राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 24.11.2022 के परिपेक्ष्य में मेसर्स रामेश्वरम् स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़े गुमड़ा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन् स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़े गुमड़ा, तहसील–घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के नाम पर नामांतरित किये जाने हेतु गठित चार सदस्यीय उप समिति द्वारा दिनांक 12.12.2022 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस को उद्योग बंद पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की पॉवर प्लांट इकाई वर्ष 2016 से उत्पादनरत् नहीं है। स्पंज आयरन इकाई (02 गुणा 100 TPD) को दिनांक 02.12.2022 से किल्न संधारण एवं अन्य मशीनरी में सुधार हेतु बंद रखा गया है। उत्पादन बंद रखने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ को दिनांक 02.12.2022 को उत्पादन बंद करने की सूचना प्रदान की गई है। उद्योग मेसर्स रामेश्वरम् स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़े गुमड़ा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (I.A. Division) द्वारा दिनांक 13.06.2009 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का अद्यतन बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।"

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमड़ा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु स्मरण पत्र प्रेषित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को स्मरण पत्र लेख किया जाए।

**6. मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू), ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1799)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227885/2021, दिनांक 05/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 114, कुल क्षेत्रफल–1.336 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेलूराम साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं होने के कारण उनके द्वारा खनिज विभाग में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्राप्त किये जाने का लेख किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। समिति का मत है कि खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क्र./ख.नि./तीन–6/2021/573 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | ईंट उत्पादन (नग) |
|---|---|
| 2016 | 5,67,000 |
| 2017 | 6,30,500 |

| | |
|---|---|
| 2018 | 4,75,000 |
| 2019 | 6,08,000 |
| 2020 | 90,500 |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 08/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3544/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 12/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री दीनबंधु साहू के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/12/2005 से 23/12/2010 तक की अवधि हेतु कैप की। लीज का नवीनीकरण दिनांक 24/12/2010 से 23/12/2020 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 15 वर्षों की, दिनांक 24/12/2020 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 114 श्री खेतु राम एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी. एवं अस्पताल अमनपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 25,120 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 615 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगा, जिसका क्षेत्रफल 1,700 वर्गमीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 18 टन कोयले की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | ईंट उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| प्रथम | 1,250 | 12,50,000 |
| द्वितीय | 1,250 | 12,50,000 |
| तृतीय | 1,250 | 12,50,000 |
| चतुर्थ | 1,250 | 12,50,000 |
| पंचम | 1,250 | 12,50,000 |

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | ईंट उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| षष्टम | 1,250 | 12,50,000 |
| सप्तम | 1,250 | 12,50,000 |
| अष्टम | 1,250 | 12,50,000 |
| नवम | 1,250 | 12,50,000 |
| दशम | 1,250 | 12,50,000 |

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 41.24 | 2% | 0.82 | Following activities at Government Primary School, Village- Lamkani | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.43 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC | 0.40 |
| | | | Plantation | 0.10 |
| | | | **Total** | **0.93** |

समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किया जाए।

15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकवरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया है, जो कि संभव नहीं है। अतः उक्त के संबंध में संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्तानुसार अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी के संबंध में फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 28/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लगभग 17 टन प्रतिवर्ष ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग के संधारण में किया जाएगा।

4. अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकवरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया था, जो कि संभव नहीं है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार टंकन त्रुटिवश रिकवरेबल रिजर्व की मात्रा 19,289 टन थी, जिसे संयुक्त–संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर द्वारा (अनुमोदित क्वारी प्लान के पेज क्र.–11) त्रुटि सुधार कर रिकवरेबल रिजर्व की मात्रा 18,289 टन करते हुए संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित क्षेत्र में जिग–जैग किल्न के स्थान पर पूर्व से फिक्स चिमनी (Type BTK) स्थापित है।

6. जल की आपूर्ति बोरवेल के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेयजल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

8. सी.ई.आर. के तहत् (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रूपये, खाद के लिए राशि 400 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 18,000 रूपये के लिए 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.नि./तीन–6/2022/10 रायपुर, दिनांक 04/04/2022 के अनुसार "कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.08.2017 के तहत् श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.338 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण सम्मति आदेश जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने एवं पट्टेदार के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।" होना बताया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति के उत्खनन किया जाना ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण उल्लंघन का उल्लेख करते हुये पुनः आनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में उल्लंघन का उल्लेख नहीं करने के कारण आवेदित प्रकरण को कि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का यह भी निर्णय है कि परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् उल्लंघन का उल्लेख करते हुये विहित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संपन्न 126वीं बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त प्राप्त अभिलेखों एवं उपलब्ध नस्ती का अवलोकन कर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में खनि अधिकारी, जिला–रायपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/09/2022 द्वारा श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं खनि अधिकारी, जिला–रायपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 11/10/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 09/11/2022 को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/11/2022 को संपन्न 133वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- "With reference to the letter No. 908/SEAC CG/ Raipur/1799, Nava Raipur Atal Nagar Date 05/09/2022, a sub-committee of three members Shri N.K. Chandrakar, Expert Member of SEAC CG, Mining Officer of Raipur and Regional Officer Raipur CECB was constituted to inspect Bricks earth quarry and brick kiln project which is granted lease till 22/12/2035 to Mr. Deenbandhu Sahu, Village - Lamkeni ,Tehsil - Abhanpur, District - Raipur for renewal of Environmental Clearance. Previous environment clearance was granted for five years to the project proponent through letter no. 374/DEIAA CG/EC/Khanij/2016.
- The site was visited on 11/10/2022 where Mining Inspector Raipur, project proponent Mr. Deebandhu Sahu Project proponent and Mr. S.K. Chaudhary, Sub Engineer CECB, Mr. M.K. Shrivastava, Chemist CECB and some villagers were present. (Panchnama enclosed).

**Following observations were made during the inspection:**

- Annual mining limit of brick earth is within prescribed limit of 1500 cubic metre per year and boundary of lease area is marked with permanent pillars. (Photographs enclosed).
- Waste water from the brick work production process is not discharged into natural water stream also necessary provisions have been made so that storm water in lease area does not come in contact with polluted waste water.
- No waste material is dumped in the peripheral 7.5 meter wide safety zone and sufficient plantation has been done in this area.
- Tree guard has been used to protect the trees and enough plantations of trees like neem, ashok, mango, karanj etc. as per the guidelines of Environmental Clearance was also found in the lease area.
- Labours of the brick work project are provided facility of clean drinking water, toilets, shoes, helmet and first aid kits.
- The inspection of lease area does not indicate any type of violation with respect to Environmental Clearance guidelines and project proponent is willing to comply all the terms and conditions of SEAC Chhattisgarh. (Affidavit enclosed).
- Recent NOC from village panchayat has also been submitted and this project is not a part of any cluster. (Copy enclosed).
- The project proponent submitted affidavit before the SEIAA to comply all the terms and conditions. (Copy enclosed).
- Apart from above there is no Brick kiln chimney within 1 KM radius and population 600-800 meter from lease area.

Therefore it is recommended to renew the Environmental Clearance."

साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत कार्यवाही विवरण अनुसार पूर्व जिला स्तरीय विशेषज्ञ निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 21/03/2017 में कुल 24 प्रकरणों पर पर्यावरण सम्मति दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

2. उपरोक्त कार्यवाही विवरण के अंतर्गत उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है अथवा नहीं? अतः प्राधिकरण का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है, ताकि प्रकरण पर विचार किया जा सके। प्राप्त समस्त अभिलेखों की प्रति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर को पत्र के साथ संलग्न किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से उपरोक्त कार्यवाही विवरण के संबंध में स्पष्टीकरण एवं आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रेषित किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/01/2023 को प्रेषित किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क्र.–Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"पूर्व में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/10 रायपुर दिनांक 04.04.2022 के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 हे. पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया संभव नहीं है ।" होना लेख किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में लेख है कि जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (डी.ई.ए.सी.) रायपुर की बैठक दिनांक 15.03.2017 में कुल 31 प्रकरणों की सुनवाई कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय करने हेतु निर्णय दिया गया। बैठक के कार्यवाही विवरणानुसार बिन्दु क्रमांक 20 अनुसार आवेदक श्री दीनबंधु साहू को ग्राम लमकेनी तहसील अभनपुर के निजी भूमि खसरा नं. 114 भाग रकबा 1.336 हे. पर स्वीकृत मिट्टी उत्खनिपट्टा को पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.12.2020 तक प्रदाय करने विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया जिसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु समस्त प्रकरण जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) रायपुर में प्रस्तावित किया गया।

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) के बैठक दिनांक 21.03.2017 में दिनांक 14.02.2017 के 04 एवं दिनांक 15.03.2017 के 31 कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई की गई जिसमें 24 प्रकरणों को पर्यावरण सम्मति प्रदाय करने का निर्णय लिया गया जिसमें श्री दीनबंधु साहू का प्रकरण सम्मिलित है। उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक श्री दीनबंधु साहू को पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाय किया गया है।" संबंधित बैठकों की छाया प्रतियां प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क्र.– Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 से प्राप्त जानकारी एवं उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 290458/2022, दिनांक 26/08/2022। श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** –

1. यह खदान ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 581, कुल लीज क्षेत्र 2.255 हेक्टेयर, मिट्टी (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,400 घनमीटर (ईंट उत्पान इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 108, दिनांक 21/02/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के पृ. आदेश क्रमांक 758/ए/ख.शा./2017 जशपुर, दिनांक 28/08/2017 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर शेष अवधि (मूल स्वीकृत अवधि दिनांक 10/12/2010 से 09/12/2040 तक) हेतु उत्खनिपट्टे का अंतरण किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1852/खनिज/खनि. 3/उत्खनन यो./2020, दिनांक 04/12/2020 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर रिवाईज्ड क्वारी प्लान जारी किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

3. श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला क्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी क्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुत की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि. शा./2022 जशपुर, दिनांक 18/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2017 | 1,190 |
| 2018 | 1,280 |
| 2019 | 520 |
| 2020 | 100 |
| 2021 | 600 |
| 2022 (मार्च तक) | 440 |

3. श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला क्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी क्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदित प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 18/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,190 घनमीटर उत्खनन किया जाना बताया गया है।

2. उक्त आवेदित प्रकरण के अतिरिक्त इसी खसरे एवं क्षेत्रफल (खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल – 2.255 हेक्टेयर) हेतु एक अन्य ऑनलाईन आवेदन (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 243410/2021, दिनांक 28/12/2021) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,910 घनमीटर उत्खनन किया जाना बताया गया है।

3. उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों के उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपयुक्त प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों के उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपयुक्त प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को भी उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1390, दिनांक 21/11/2022 के परिप्रेक्ष्य में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर से जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1389, दिनांक 21/11/2022 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 282 दिनांक 24.09.2021 में दी गई जानकारी 12/2010 से 03/2021 तक किये गये उत्पादन की है। इसी प्रकार इस कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 369 दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से दी गई जानकारी जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जशपुर छ.ग. द्वारा श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला को ग्राम–दुलदुला, ग्राम पंचायत दुलदुला, तहसील–दुलदुला स्थित भूमि ख.नं. 559/2, 559/7, 559/17, 559/18, 559/19, 559/20, 559/21, 561 कुल रकबा 2.298 हे. क्षेत्र पर खनिज मिट्टी (ईंट) के लिए पर्यावरण सम्मति ज्ञापन क्रमांक/108/डी.ई.आई.ए.ए./ई.सी./जशपुर/2017 जशपुर, दिनांक 21.02.2017 जारी होने के पश्चात् उक्त क्षेत्र में माह मार्च 2017 से 03/2022 तक किये गये उत्पादित मात्रा की वर्षवार जानकारी है। वर्ष 2017 में पर्यावरण सम्मति जारी होने के पूर्व (माह जनवरी–फरवरी 2017 में) 720 घ.मी. तथा पर्यावरण सम्मति जारी होने पश्चात् मार्च से दिसम्बर महीने के मध्य 1190 घ.मी. उत्पादन किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2017 में कुल उत्पादन 1910 घ.मी. ही किया गया है। पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उनके मांग के अनुसार उक्त दोनों प्रमाण पत्र तैयार कर इस कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें पर्यावरण सम्मति जारी होने के पश्चात् की चाही गई जानकारी में वर्ष 2017 में उत्पादन कार्यालयीन अभिलेख अनुसार 1190 घ.मी. है।"

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

प्राधिकरण द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी आदेश अनुसार:-

14. Further, this Tribunal has observed that mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2016 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986. For this purpose, MoEF&CC is directed to collect information regarding such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA and the period of which has not yet expired and are still continuing in all the States and Union Territories and by issuing appropriate directions for compliance with directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 passed by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal for grant of EC by SEIAA.

माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 में दिये आदेश के अनुक्रम में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**8. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मोनेट रोड, ग्राम-कुरूद, मंदिर हसौद, तहसील व जिला-रायपुर**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 287493/2022, दिनांक 06/08/2022। मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, मोनेट मार्ग, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मोनेट रोड, ग्राम-कुरूद, मंदिर हसौद, तहसील व जिला-रायपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण -**

1. यह खदान ग्राम-हाहालदूदी, तहसील-मानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर के कुल लीज क्षेत्र 78.9 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/294/2015-IA.II(M), दिनांक 17/06/2017 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 78.9 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (**Notarize undertaking**) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 6203/टी.एस./सी.ई.सी.बी./2020 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 01/12/2021 द्वारा आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु सम्मति जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

6. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को जारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पॉवर ऑफ एटॉर्नी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि:–**

1. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् सक्षम प्राधिकारी से संशोधित माईनिंग लीज डीड की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर किये जाने हेतु समस्त आवश्यक विधिक प्रमाण पत्र /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् माईनिंग लीज डीड की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज की वैधता दिनांक 06/01/2067 तक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।
3. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से SECTION 13(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 के तहत् जारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर अंतरण किये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश पत्र की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर अंतरण किये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जावें।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 7–29/2020/12 दिनांक 08/04/2022 द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"खनिपट्टाधारी कंपनी मेसर्स मोनेट इस्पात इण्ड एनर्जी लिमिटेड का नाम परिवर्तन दिनांक 23.09.2020 से **M/s JSW Ispat Special Products Limited** के नाम से होने पर खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 61 के प्रावधानांतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा पैरा–8 में उल्लेखित शर्तों के अधीन मेसर्स मोनेट इस्पात इण्ड एनर्जी लिमिटेड का नाम **M/s JSW Ispat Special Products Limited** के नाम परिवर्तन की अभिस्वीकृति प्रदान करती है।"

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक को छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग से अंतरण किये जाने हेतु आदेश पत्र की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–4** **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने बाबत्।**

श्री मनिन्दर सिंह गरचा, अध्यक्ष राजनांदगांव क्रेशर संघ के पत्र दिनांक 01/04/2022 के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 08/04/2022 को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के समक्ष किये गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने की सूचना के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

आवेदन लंबित रहने पर पट्टाधारकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ ही खदानों में नियुक्त मजदूरों के समक्ष भी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस बाबत् पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं कोर्ट के संदर्भित आदेश को संज्ञान में लेते हुए खदान में कार्य उत्पादन तथा विक्रय सहित यथावत् जारी रखने की सूचना प्रस्तुत की गई है। साथ ही उचित मार्गदर्शन चाहा गया है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. यह की, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा जिले में संचालित 150 से अधिक उत्खनिपट्टों को वर्ष 2016 से 2018 के मध्य प्रचलित नियमानुसार आवेदनोपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति की अवधि 31/03/2020 दर्शित है, जिसे कोविड–19 महामारी को संज्ञान में लेकर पृथक–पृथक आदेश से 31/03/2022 तक स्वतः विस्तारित कर दिया गया था।

2. यह की, पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 (23/03/2016 को संसोधित) अनुसार पूर्व में जारी पट्टो के अवधि का प्रथम स्वीकृति दिनांक से 30 वर्ष हेतु विस्तारण/नवीनीकरण अनुबंध पट्टा धारकों द्वारा संपादित कराया गया।

3. यह की, MoEF&CC द्वारा जारी आदेश क्रमांक J-11011/15/2012-IA. II(M) दिनांक 20/03/2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात पट्टा नवीनीकरण होने पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन की आवश्यकता नही है, एवं पर्यावरण स्वीकृति की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे संज्ञान में लेते हुए मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, द्वारा ईस्टर्न मिनरल्स, झाँसी के प्रकरण को 30 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया, परन्तु समान प्रकरण होने के उपरान्त भी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, द्वारा आवेदकों के प्रकरण का निराकरण अद्यतन नहीं किया गया है।

4. राजनांदगांव जिले में MoEF&CC द्वारा मनोनित सक्षम प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में धारित पर्यावरण स्वीकृति 31/03/2020 (विस्तारित 31/03/2022) तक की सीमित अवधि हेतु जारी की गयी एवं निकटस्थ अन्य जिलों में पूर्ण पट्टा अवधि (30 वर्ष) हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई।

5. वर्तमान में पट्टेदारों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अवधि विस्तारण हेतु समस्त जानकारी पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।

6. श्रीमान जी से यह भी अनुरोध है कि कृपया सक्षम अधिकारी/विभाग को निर्देशित करें कि पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अवधि की समाप्ति के बाद भी जब तक पट्टेदार का आवेदन राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष लंबित है/अस्वीकृत नहीं किया गया है, तब तक खदान से उत्पादन एवं विक्रय पूर्ववत् जारी रहने दें, क्योंकि एमजीएम मिनरल्स विरूद्ध एसईआईएए एण्ड ओआरएस. के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 24/12/2014 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि–

"a. EC in respect of mining projects for the entire project life subject to a max. period of 30 year.

b. Mining operations shall not be impeded on account of EC."

7. आवेदन लंबित रहने पर पट्टा धारकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ ही खदानों में नियुक्त मजदूरों के समक्ष भी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इस बाबत् पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति एवं कोर्ट के संदर्भित आदेश को संज्ञान में लेते हुए खदान में कार्य उत्पादन तथा विक्रय सहित यथावत् जारी रखे जाने की सूचना प्रस्तुत है एवं उचित मार्गदर्शन अपेक्षित है। उत्खनन कार्य की निरंतरता बनाये रखने में सहयोग प्रदान कर हम सभी आवेदकगणों को अनुग्रहित करें।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उल्लेखित वैधता की गणना पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से प्रारंभ कर पत्र में निर्धारित समाप्ति अवधि के पूर्व माईनिंग ऑपरेशन्स प्रारंभ कर लेने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता की गणना लीज डीड क्रियान्वयन दिनांक से रहेगी।

2. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के पूर्व समाप्त हो चुकी है, उन परियोजनाओं को पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 को अथवा इस दिनांक के उपरांत वैध है, उन खनन परियोजनाओं में:–

(अ) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में वही है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के समय थी, उनमें परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि हेतु फार्म–6 में आवेदन करना होगा।

(ब) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में जिसकी स्थिति परिवर्तित हो रही (जैसे बी–2 से बी–1) है। उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में अवधि विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के आधार पर किया जाना है अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि में विस्तार हेतु परियोजना प्रस्तावक को नवीन आवेदन करना होगा। इस संबंध में भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा।

पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में उपरोक्त अभिमत प्रस्तुत है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संपन्न 126वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/अभिमत का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार समिति की समस्त अनुशंसा को मान्य करने का निर्णय किया गया तथा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3 (ब) के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2022 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/12/2022 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12/04/2022 के पूर्व एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों को 30 वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त आदेश क्रमांक F.No. 1A3-22/28/2022-1A.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 की कंडिका 2(a) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि:–

"जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन परियोजना प्रस्तावकों द्वारा दिनांक 12/04/2022 के पूर्व SEIAA के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है वह स्वतः 30 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित होगी एवं मान्य की जाएगी।"

उक्त आदेश के अनुपालन में जिन परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन दिनांक 12/04/2022 के पूर्व एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है उन आवेदनों पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये खनिज विभाग को अवगत कराये ताकि परिवहन पास प्राप्त कर उत्खनन कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 में दिये आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

14. Further, this Tribunal has observed that mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2016 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-

appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986. For this purpose, MoEF&CC is directed to collect information regarding such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA and the period of which has not yet expired and are still continuing in all the States and Union Territories and by issuing appropriate directions for compliance with directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 passed by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal for grant of EC by SEIAA.

15. Action taken report in this regard be filed by MoEF&CC before this Tribunal within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेशों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार पत्र लेख किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–5** **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद द्वारा मेसर्स हीरापुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राहील अहमद खान), ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–बालोद को रेत उत्खनन हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने बाबत्।**

1. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद द्वारा मेसर्स हीरापुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राहील अहमद खान), ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–बालोद को रेत उत्खनन हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने बाबत्।**

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1595, दिनांक 28/12/2020 द्वारा श्री राहील अहमद खान, हीरापुर सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01(पार्ट), 765/1(पार्ट), ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद द्वारा मेसर्स हीरापुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राहील अहमद खान), ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–बालोद को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1595, दिनांक 28/12/2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 04/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 28.12.2020 से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसकी वैधता दिनांक 27.12.2022 को समाप्त हो रही है। संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. द्वारा याचिका क्रमांक WP (C) 100/2022; Rahil ahmed Khan Vs State of Chhattisgarh & 02 Other's के आदेश दिनांक 11.04.2022 तथा न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्रमांक 3323/विधि, प्रकोष्ठ/ W.P.(C) No. 100/2022 नया रायपुर दिनांक 15.06.2022 के अनुपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 490/ख.लि./रेत-एफ/2022-23 बालोद दिनांक 28.06.2022 द्वारा अधिमानी बोलीदार श्री राहील अहमद खान आ. शरीफ अहमद खान, निवासी छोटापारा रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में रेत खदान का उत्खनिपट्टा की स्वीकृति दो वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया। स्वीकृत रेत खदान का अनुबंध दिनांक 18.08.2022 से 15.8.2024 तक किया जाकर, भू-प्रवेश की अनुमति दिनांक 18.11.2022 को जारी किया गया।

उपरोक्तानुसार कृपया "पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता को अनुबंध तिथि से मान्य किया जावे या नहीं" के संबंध में शीघ्र मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करे जिससे की राजस्व हानि से बचा जा सके।"

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

**"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"**

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का. आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-6 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

1. **मेसर्स श्री सुदेश कुमार सिवाना (अरौंद सेण्ड माईन, ग्राम-अरौंद, तहसील व जिला-बालोद), ग्राम-गुजरा, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1013)**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1458, दिनांक 15/01/2020 द्वारा श्री सुदेश कुमार सिवाना, अरौंद सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01,

ग्राम–अरौंद, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष (दिनांक 15/01/2020 से 14/01/2022) हेतु प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात् हमारे द्वारा लीज अनुबंध कार्यालय कलेक्टर बालोद जिला बालोद से नियमानुसार कराया गया है जिसकी अवधि 20/02/2020 से 19/02/2022 प्रदान की गयी थी जिसका एक वर्ष के लीज नवीनीकरण/विस्तारीकरण पश्चात् लीज अवधि दिनांक 20/02/2020 से 19/02/2023 हो गयी है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्माघात निर्धारण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1338/ईसी. /रायपुर /2021 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 25/09/2021 के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की गणना के प्रयोजन में के लिए विचार नहीं किये जाना है, अतः उक्त क्षेत्र की पर्यावरण स्वीकृति अवधि 14/01/2023 तक के लिए वैध है।

किन्तु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिया जाना प्रस्तावित है।"

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जारी पर्यावरण अवधि को लीज अनुबंध दिनांक (19/02/2023) तक मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

**"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"**

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का. आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स निशिमा मिनरल्स, प्रो.–श्री प्रेरित चन्द्राकर (रौना सेण्ड माईन, ग्राम–रौना, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद), कन्हैयापुरी, सुभाष नगर, कसारीडीह, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1004)**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1464, दिनांक 15/01/2020 द्वारा मेसर्स निलिमा मिनरल्स, प्रो.– श्री प्रेरित चन्द्राकर रौना सेण्ड माईन, को खसरा क्रमांक 92(पार्ट) एवं 582(पार्ट), ग्राम–रौना, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष (दिनांक 15/01/2020 से 14/01/2022) हेतु प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात् हमारे द्वारा लीज अनुबंध कार्यालय कलेक्टर बालोद जिला बालोद से नियमानुसार कराया गया है जिसकी अवधि 06/05/2020 से 05/05/2022 प्रदान की गयी थी जिसका एक वर्ष के लीज नवीनीकरण/विस्तारीकरण पश्चात् लीज अवधि दिनांक 06/05/2020 से 05/05/2023 हो गयी है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1336/ई.सी./रायपुर /2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/09/2021 के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की गणना के प्रयोजन में के लिए विचार नहीं किये जाना है, अतः उक्त क्षेत्र की पर्यावरण स्वीकृति अवधि 14/01/2023 तक के लिए वैध है।

किन्तु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिया जाना प्रस्तावित है।"

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जारी पर्यावरण अवधि को लीज अनुबंध दिनांक (05/05/2023) तक मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

**"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"**

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का. आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।**

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स नितिमा मिनरल्स, प्रो.– श्री प्रेरित चन्द्राकर (मरदाखुर्द सेण्ड माईन, ग्राम–मरदाखुर्द, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद), कन्हैयापुरी, सुभाष नगर, कसारीडीह, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1003)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1462, दिनांक 15/01/2020 द्वारा मेसर्स नितिमा मिनरल्स, प्रो.– श्री प्रेरित चन्द्राकर मरदाखुर्द सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–मरदाखुर्द, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष (दिनांक 15/01/2020 से 14/01/2022) हेतु प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात् हमारे द्वारा लीज अनुबंध कार्यालय कलेक्टर बालोद जिला बालोद से नियमानुसार कराया गया है जिसकी अवधि 06/05/2020 से 05/05/2022 प्रदान की गयी थी जिसका एक वर्ष के लीज नवीनीकरण/विस्तारीकरण पश्चात् लीज अवधि दिनांक 06/05/2020 से 05/05/2023 हो गयी है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1336/ई.सी. /रायपुर /2021 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 25/09/2021 के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की गणना के प्रयोजन में के लिए विचार नहीं किया जाना है, अतः उक्त क्षेत्र की पर्यावरण स्वीकृति अवधि 14/01/2023 तक के लिए वैध है।

किन्तु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिया जाना प्रस्तावित है।"

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जारी पर्यावरण अवधि को लीज अनुबंध दिनांक (05/05/2023) तक मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

**"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"**

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत** सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.

आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**4. श्री प्रमोद तिवारी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ खनिज पट्टाधारी महासंघ द्वारा "आशीष अग्रवाल के पक्ष में ग्राम सिरियाडीह तहसील बलौदाबाजार के खसरा नंबर 1472 भाग रकबा 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण रेत का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के संबंध में" मार्गदर्शन लिये जाने बाबत्।**

श्री प्रमोद तिवारी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ खनिज पट्टाधारी महासंघ द्वारा "आशीष अग्रवाल के पक्ष में ग्राम सिरियाडीह तहसील बलौदाबाजार के खसरा नंबर 1472 भाग रकबा 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण रेत का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के संबंध में" दिनांक 30/01/2023 को मार्गदर्शन लिये जाने बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"आशीष अग्रवाल के पक्ष में ग्राम सिरियाडीह के खसरा क्रमांक 1472 (भाग) रकबा 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण रेत का उत्खन्न पट्टा 18/02/2020 से 17/02/2021 तक स्वीकृत है जिसमें छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (व्यवसाय तथा उत्खनन) नियम 2019 के नियम 04 के तहत् मूल स्वीकृति अवधि में एक वर्ष विस्तारित करते हुए उक्त क्षेत्र में दिनांक 18/02/2020 से 17/02/2023 तक उत्खनि पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनि पट्टा में रेत उत्खनन् हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण छ.ग. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 30/01/2020 से 2 वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है एवं नोटिफिकेशन दिनांक 18/01/2021 द्वारा एक वर्ष का वैधता विस्तार दिया गया अतः 30/01/2023 तक सहमति वैध है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12.04.2022 की पैरा 9 (ए) में लेख किए गए प्रावधान "परन्तु खनन् परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खन्न पट्टे के निष्पादन के तिथि से दिए जायेंगे" के प्रावधान के परिपेक्ष्य में आग्रह पूर्वक निवेदन है कि मार्गदर्शन देने की कृपा करें कि पर्यावरण स्वीकृति किस दिनांक से लागू होगी अतः क्या पर्यावरण सहमति 30.01.2020 से 3 वर्षों के लिए वैध है? या लीज अनुबंध दिनांक 18/02/2020 से 3 वर्षों के लिए वैध है?"

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का. आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

**(आर.पी. तिवारी)**
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

**(देवाशीष दास)**
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

**(डॉ. दीपक सिन्हा)**
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़